

# भारतीय रिज़र्व बैंक

# विनियमन विभाग

#### RESERVE BANK OF INDIA

## Department of Regulation



## पंजीकरण प्रमाण पत्र

### CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैद्य नहीं) (Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या

N-13.02517

Converted from HFC to NBFC-ICC

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए **पीरामल फाइनेंस लिमिटेड** को

पूर्ववर्ती नाम पीरामन केपिटन एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का परिवर्तित नाम)
दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का
कारोबार प्रारंभ करने/करते रहने के लिए यह

### पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the

Reserve Bank of India Act, 1934

#### PIRAMAL FINANCE LIMITED

(formerly known as Piramal Capital & Housing Finance Limited') is hereby granted

### **Certificate of Registration**

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन मुंबई

पच्चीस

की

चौथी

तारीख को जारी किया गया।

DOR-00014 दिनांक 21.02.2022 के बदले Given under my hand at

Mumbai

this Fourth

दो हजार

day of

April

Two Thousand

Twenty Five

In lieu of DOR-00014 dated 21.02.2022

(एम राजेन सिंह / M. Rajen Singh)

महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक

General Manager / Deputy General Manager



अप्रैल

